राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ0 राधाकृष्ण शिक्षा संकुल परिसर मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राज0

क्रमांकः एफ 1(260)संस्थापन / अ.स.मा.वि. / शीघ्रलिपिक / 2022 / 9846 दिनांकः 08/08/2022

-: नियुक्ति आदेश :-

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक कमांक प.2(2)प्र.सु./अनु-3/2022 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर को शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के चयनित अभ्यर्थियों को विभाग (नियुक्ति अधिकारी) के आवंटन किये जाने पर राजस्थान सेवा नियमों एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत शीघ्रलिपिक के पद पर उनके नाम के आगे अंकित कार्यालय में कार्मिक विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग (नियम) की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 23700/- रूपयें प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या 10 में अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है :-

विवरण						पदस्थापन हेतु कार्यालय का नाम
अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	वरीयता क्रमांक	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग	
श्रीमती दिव्या कुमारी	श्री नरेश कुमार	75	5.3.1997	सामान्य EWS	सामान्य	निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर
श्री सौरभ सोनी	श्री गणेश नारायण सोनी	267	26.9.1997	ओबीसी	सामान्य	
श्रीमती कोमल मीना	श्री हरिराम मीना	1852	14.12.1997	एसटी	एसटी	

1. उक्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिये जाते है कि वे आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर-अन्दर अपना पद का कार्यभार ग्रहण करें। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें कि ये कब तक कार्यभार ग्रहण करेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें विकल्प के आधार पर राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
3. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2017 के नियम 16 की अनुसूची-IV के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगे। Fixed Remuneration पर कार्य करने की अपनी सहमति पदस्थापन कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आदि देय नहीं होगें।
5. यदि उपरोक्त अभ्यर्थियों का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया गया, तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय पृथक किया जा सकेगा।
6. दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही पे-मैट्रिक्स लेवल-10 में वेतन नियतन एवं नियमितीकरण की कार्यवाही की जावेगी।
7. परिवीक्षाकाल अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रभावी प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
8. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एंव सेवालाभ देय होगें।
9. उक्त अभ्यर्थीयों की जन्मतिथि इनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।

10. चयनित अभ्यर्थीयों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी वरीयता क्रम के अनुसार रहेगी।
11. अभ्यर्थीयों की नियुक्ति तिथि शीघ्रलिपिक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य रहेगी।
12. उक्त अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्नित किये गये दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज/सूचना असत्य/मिथ्या पाये जाते है तो राज्य सरकार/विभाग इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।
13. वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 09.04.2021 के अनुसार राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में निहित प्रावधान लागू होगे।
14. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होगें।
15. उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8.8.2022

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

क्रमांकः एफ 1(260)संस्थापन/ अ.स.मा.वि./शीघ्रलिपिक/2022/9847 दिनांकः 08/08/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. शासन उपसचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग को पत्र कमांक पं.2(2)प्र.सु./अनु.3/2022 दिनांक 13.07.2022 के क्रम में।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय हाजा।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. श्रीमती दिव्या कुमारी, 125/2 आयकर कॉलोनी कैलिगिरी रोड, मालवीय नगर, जयपुर।
10. श्री सौरभ सोनी, प्लाट नं. 134– श्री राम नगर–ए, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर–302012
11. श्रीमती कोमल मीना, ग्राम–बोरिफ पोस्ट–जीनापुर, तहसील व जिला–सवाईमाधोपुर।
12. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देश है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
13. रक्षित पत्रावली कार्यालय हाजा।

08/08/2022

(सुशील कुमार)
सहायक निदेशक–द्वितीय